सार्वजनिक नीलामी नोटिस (अल्पकालीन)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में उपलब्ध राजकीय कार्य में प्रयोग होने वाले राजकीय सम्पत्ति फर्नीचर के 625 सामनों, राजकीय सम्पत्ति मेस पात्र के 1245 सामानों, राजकीय सम्पत्ति पैरासेबल के 8157 सामानों, राजकीय सम्पत्ति टेण्ट के 330 सामानों एवं राजकीय सम्पत्ति इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रानिक के 1407 सामानों , राजकीय सम्पत्ति कम्प्यूटर के 291 सामानों, राजकीय सम्पत्ति आउटडोर के 518 सामानों, राजकीय सम्पत्ति वर्दी/ किट के 5514 सामानों, अन्य राजकीय सम्पत्ति के 604 सामानों, को निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है, जिनकी नीलामी की जानी है। उक्त सामानों के नीलामी की कार्यवाही हेतु दिनांकः 11-04-2025 की तिथि नियत की जाती है। नीलामी की कार्यवाही प्रातः 11:00 बजे संस्था कार्यालय में की जायेगी नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी:-

1- जो व्यक्ति नीलामी में भाग लेगा उसे रूपया 25,000/- का पंजीकरण शुल्क बोली के स्थान पर शिविरपाल के पास जमा करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण शुल्क नकद स्वीकार की जायेगी, जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत की जायेगी, उसे छोड़कर अन्य सभी की जमा पंजीकरण शुल्क बाद नीलामी वापस कर दिया जाएगा।

2. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकृत होगी उसे 01 दिवस के अन्दर नीलामी की धनराशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में पंजीकरण की गई जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं उनके पक्ष में की गई नीलामी स्वंतः निरस्त समझी जायेगी।

3. बोलीदार बोली बोलने से पूर्व शिविरपाल के माध्यम से निष्प्रयोज्य सामानों को अवश्य देख ले, ताकि बोली में किसी प्रकार की कठिनाई न हो सकें।

4. सबसे अधिक धनराशि बोलने वाले को ही निष्प्रयोज्य सामानों को ले जाने का अधिकार सामान्यतया संस्था द्वारा दिया जायेगा।

5. बोली के उपरान्त बोलीदार को नीलामी की सभी निष्प्रयोज्य सामानों को ले जाने के लिए अवधि अलग से कार्यादेश में निर्धारित की जायेगी।

6. बोली के बाद प्रश्नगत निष्प्रयोज्य सामानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। संस्था सुरक्षा के लिए कतई जिम्मेदार नहीं होगा।

7. राजकीय हित में आवश्यकतानुसार बिना कोई कारण बताये सार्वजनिक नीलामी अथवा बोली को अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा निरस्त किया जा सकता है, जिस पर कोई अपील स्वीकार न होगी। अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

8. बोली से सम्बन्धित सभी बोलीकर्ताओं को विभागीय/ शासन के इस विषय में निर्गत आदेशो को मानना आवश्यक होगा। नियमानुसार बोली के अतिरिक्त निर्धारित दर में ठेकेदार को व्यापार कर/ बिक्रीकर अथवा अन्य देय कर देना अनिवार्य होगा।

9. निष्प्रयोज्य सामनों की नीलामी हेतु बोली बोलने वाले ठेकेदारों का पंजीकरण निर्धारित तिथि को प्रातः 11:00 बजे से पूर्व तक होगी। इच्छुक ठेकेदार अपना पंजीकरण नियत समय से करायेगें अन्यथा समय समाप्ति के पश्चात पंजीकरण न होने की दशा में ठेकेदार नीलामी की बोली में भाग लेने के पात्र नहीं होगें।

10. सामानों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः सर्वसम्बन्धित को अवगत कराया जाता है कि आप उक्त नियत तिथि पर उपस्थित होकर बोली में भाग लेने का

कष्ट करें।

संख्या- न-09/2025
दिनांक-03/04/2025

3/4/25

(ओम प्रकाश यादव)
पुलिस अधीक्षक,
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय,
सीतापुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-:

1- अपर पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सीतापुर।
2- जिलाधिकारी, सीतापुर को सूचनार्थ।
3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को सूचनार्थ।
4- सेनानायक, द्वितीय, 11वीं, 27वीं वाहिनी पी0ए0सी0 सीतापुर को सूचनार्थ।
5- एस0पी0एम0वी0ओ0, सीतापुर सीतापुर को सूचनार्थ।
6- अपर पुलिस अधीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर।
7- सैन्य सहायक / पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, पी0टी0सी0सीतापुर।
8- प्रतिसार निरीक्षक "क्यू" पी0टी0सी0 सीतापुर।
9- एच0डी0आई0 / प्रभारी निरीक्षक इण्डोर, पी0टी0सी0 सीतापुर।
10- नगर पालिका / जिला उद्यान अधिकारी, सीतापुर।